संख्या- 16/2015/ 56/71-1-2015-जी-137/2007

प्रेषक,

अरिन्दम भट्टाचार्य,
विशेष सचिव
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

महानिदेशक,
चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण,
उ0प्र0, लखनऊ।

चिकित्सा शिक्षा अनुभाग-1 लखनऊ : दिनॉक 12 फरवरी, 2015

विषय:- वित्तीय वर्ष 2014-15 में मेडिकल कालेज, अम्बेडकर नगर के निर्माण कार्य हेतु धनराशि स्वीकृत किए जाने के संबंध में।

महोदय,

राजकीय मेडिकल कालेज, अम्बेडकर नगर के निर्माण हेतु उ0प्र0 राजकीय निर्माण निगम लि0 लखनऊ को कार्यदायी संस्था नामित किया गया था। व्यय वित्त समिति की बैठक दिनॉक 01-10-2007 में उक्त प्रायोजना की मूल लागत रू0 23626.44 लाख आंकलित की गयी थी। इसी मूल लागत के सापेक्ष शासनादेश संख्या-1607/71-1-08-जी-137/2007टी0सी0, दिनॉक 02-06-08 में प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति निर्गत की गयी थी। लागत दरें पुनरीक्षित होने के कारण दिनॉक 12-01-10 को हुई व्यय वित्त समिति की बैठक में उक्त प्रायोजना की कुल लागत रू0 38462.50 लाख पुनरीक्षित की गयी थी एवं तद्रूप शासनादेश दिनॉक 30-03-10 द्वारा उसकी प्रशासकीय स्वीकृति निर्गत की गयी थी। पुन: वास्तविक कार्यक्षेत्र में हुई वृद्धि एवं लागत दरों को पुनरीक्षित होने के कारण दिनॉक 01-08-14 को हुई व्यय वित्त समिति की बैठक में उक्त प्रायोजना की संशोधित लागत रू0 49598.26 लाख अनुमोदित की गयी है।

2- उपर्युक्त विषय के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि मेडिकल कालेज, अम्बेडकर नगर के अनावासीय/आवासीय भवनों के निर्माण हेतु व्यय वित्त समिति द्वारा अनुमोदित लागत रू0 4,95,98,26,000/- (रू0 चार अरब पंचानबे करोड़ अट्ठानबे लाख छब्बीस हजार मात्र) की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति तथा अनुदान संख्या-31 के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2014-15 में वृहद निर्माण कार्य के अन्तर्गत प्राविधानित धनराशि रू0 3,00,00,000/- (रू0 तीन करोड़ मात्र) तथा अनुपूरक मांग के माध्यम से वृहद निर्माण कार्य के अन्तर्गत प्राविधानित धनराशि रू0 8,00,00,000/- (रू0 आठ करोड़ मात्र) अर्थात् कुल धनराशि रू0 11,00,00,000/- (रू0 ग्यारह करोड़ मात्र) की वित्तीय स्वीकृति निम्नलिखित शर्तो/प्रतिबन्धों के अधीन श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष् प्रदान करते है:-

1- प्रायोजना का निर्माण कार्य निर्धारित समयावधि में अवश्य पूर्ण कर लिया जाय।

2- प्रायोजना प्रस्ताव में कार्यमदें यथा-सी0एस0डी0 सिस्टम, मेडिकल गैस सिस्टम, ई0पी0वी0 एक्स सिस्टम, डी0जी0 सेट, लिफ्ट, लाण्ड्री, माड्यूलर ओ0टी0, फलड् लाइटिंग कार्यमदों हेतु धनराशि कोटेशन/बाजार दरों पर प्रस्तावित की गयी है, क्रियान्वयन से पूर्व कार्यदायी संस्था इस प्रकार के कार्यो हेतु निर्माताओं से सुसंगत वित्तीय नियमों का पूर्ण अनुपालन करते हुए प्रतिस्पर्धा के आधार पर दरें प्राप्त करे। चूॅकि प्रोप्राइटरी श्रेणी के कार्य है एवं इनके शिड्यूल ऑफ रेट्स उपलब्ध नहीं होते है तथा इनके मेक, माडल एवं स्पेशिफिकेशन के अन्तर से लागत में अन्तर आना स्वाभाविक हैा अत: उक्त कार्यमदों के क्रय हेतु महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण, उ0प्र0 द्वारा संबंधित कार्यमदों के विशिष्टि प्रकृति को दृष्टिगत रखते हुए इनके विषय-विशेषज्ञों की एक तकनीकी समिति का गठन किया जाय, जिसकी देखरेख में उक्त कार्यमदों का क्रय सुसंगत वित्तीय नियमों के अन्तर्गत किया जाना सुनिश्चित किया जाय।

3- प्रायोजना के कार्यान्वयन हेतु अपनी अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया जाए तथा इसी समिति की देख-रेख में उच्च गुणवत्ता के साथ निर्माण कार्य कराया जाय।

4- महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण, उ0प्र0/प्रधानाचार्य द्वारा प्रायोजना प्रस्ताव/आगणन में कोटेशन/बाजार दरों पर आधारित कार्यमदों पर व्यय न्यूनतम आवश्यकता एवं सुसंगत वित्तीय नियमों के

http://upsanadesh.up.nic.in

अन्तर्गत सुनिश्चित कराया जाय तथा आगामी वित्तीय स्वीकृति के प्रस्ताव के साथ समिति की संस्तुतियॉ भी उपलब्ध करायी जाए।

5- महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण, उ0प्र0/प्रधानाचार्य द्वारा नियमानुसार समस्त आवश्यक वैधानिक अनापत्तियॉ एवं पर्यावरणीय क्लियरेन्स सक्षम स्तर से प्राप्त करके ही निर्माण कार्य प्रारम्भ कराया जायेगा।

6- प्रायोजना अन्तर्गत प्रस्तावित कार्यो को कराए जाने के फलस्वरूप प्राप्त पुरानी सामग्री के समुचित निस्तारण के संबंध में महानिदेशक स्तर पर एक तकनीकी समिति का गठन किया जाय तथा इसी समिति की देखरेख में प्राप्त सामग्री का उपभोग/निस्तारण वित्तीय नियमों का पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित करते हुए किया जाए तथा निस्तारण से प्राप्त धनराशि को राजकोष में जमा कराया जाना सुनिश्चित किया जाय तथा कृत कार्यवाही से शासन को अवगत कराया जाए।

7- आगणन में प्रस्तावित विशिष्टियॉ में कोई उल्लेखनीय परिवर्तन जैसे नये कार्य बढ़ाना, कार्यो के आकार में वृद्धि एवं अन्य उच्च विशिष्टियॉ इस्तेमाल करना इत्यादि, व्यय वित्त समिति का पूर्व अनुमोदन प्राप्त किये बिना नहीं किया जायेगा। इसके अतिरिक्त समिति द्वारा अनुमोदित कार्यो की तकनीकी स्वीकृति निर्गत करने के पूर्व विस्तृत डिजाइन/ड्राइंग बनाते समय प्रायोजना लागत में यदि 10 प्रतिशत से अधिक वृद्धि होती है तो इस स्थिति में पुनरीक्षित प्रायोजना प्रस्ताव पर 03 माह के अन्दर समिति का पुन: अनुमोदन प्राप्त किया जाना अनिवार्य होगा, अन्यथा बाद में पुनरीक्षित प्रायोजना प्रस्ताव की लागत के प्रस्ताव पर विचार नहीं किया जायेगा।

8- प्रायोजनान्तर्गत प्रस्तावित कार्यो की दिरावृत्ति (डुप्लीकेसी) रोकने हेतु महानिदेशक/प्रधानाचार्य द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा कि यह कार्य पूर्व में किसी अन्य योजना/कार्यक्रम के अन्तर्गत न तो स्वीकृत है और न वर्तमान में किसी अन्य योजना/कार्यक्रम में आच्छादित किया जाना प्रस्तावित है।

9- उक्त धनराशि की स्वीकृति इस शर्त सहित प्रदान की जा रही है कि मानक मद "24-वृहद निर्माण कार्य" से स्वीकृत धनराशि का आहरण आवश्यकतानुसार एवं व्यय नियमानुसार किया जायेगा। स्वीकृत धनराशि को पी0एल0ए0/बैंक खाते आदि में नहीं रखा जायेगा।

10- स्वीक़त की जा रही धनराशि का व्यय उन्हीं कार्यो/मदों में किया जायेगा, जिसके लिए धनराशि स्वीकृत की जा रही है, किन्ही अन्य कार्यो/मदों पर धनराशि का व्यय अथवा व्ययावर्तन वित्तीय अनियमितता मानी जायेगी। स्वीकृत धनराशि का व्यय विवरण/उपयोगिता प्रमाणपत्र निर्धारित प्रारूप् पर शासन को यथासमय उपलब्ध कराया जाय।

3- उक्त पर होने वाला व्यय वित्तीय वर्ष 2014-15 के आय-व्ययक में अनुदान संख्या-31 के अधीन लेखाशीर्षक "4210-चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य पर पूंजीगत परिव्यय-आयोजनागत-03-चिकित्सा, शिक्षा, प्रशिक्षण तथा अनुसंधान-105-एलोपैथी-54-राजकीय एलोपैथिक मेडिकल कालेज, अम्बेडकर नगर-24-वृहद निर्माण कार्य" के नामे डाला जायेगा।

4- यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या-ई-3-227/दस-2015, दिनॉक 06 फरवरी, 2015 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे है।

भवदीय

(अरिन्दम भट्टाचार्य)
विशेष सचिव

संख्या:- 16/2015/56(1)/71-1-2015 तद्यदिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- महालेखाकार, उ0प्र0, इलाहाबाद।
2- वित्त नियंत्रक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण, उ0प्र0 लखनऊ।
3- प्रधानाचार्य, मेडिकल कालेज, अम्बेडकर नगर।
4- वित्त नियंत्रक, मेडिकल कालेज, अम्बेडकर नगर।
5- वरिष्ठ कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।

http://shasanadesh.up.nic.in

6- कोषाधिकारी, अम्बेडकर नगर।
7- प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 राजकीय निर्माण निगम लि0, विश्वेश्वरैया भवन, विभूति खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ।
8- वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1/2, वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-3
9- गार्ड फाइल।

आज्ञा से

(शैलेन्द्र नाथ शुक्ल)
अनु सचिव

http://shasanadesh.up.nic.in